

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
विनियामक आयोग
छत्तीसगढ़ शासन



“विद्या निलयम्”
ब्लॉक 7B, भू-तल, ऑफिस कैम्पस, सेक्टर 24
नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
पिनकोड : 492018
दूरभाष : 0771-2277580
ई-मेल : cgpurc18@gmail.com
वेबसाइट : www.purc.cgstate.gov.in

क्रमांक: 10113/विविध/171/2019/21596
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 28/01/2025

कुलसचिव
भारती विश्वविद्यालय,
ग्राम-चंदखुरी, जिला-दुर्ग(छ.ग.)

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालय (भारती विश्वविद्यालय, जिला-दुर्ग) में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में संचालित एवं अध्यादेश में प्रकाशित पाठ्यक्रमों की शुल्क निर्धारण के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 36(8)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में भारती विश्वविद्यालय, जिला-दुर्ग, में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिये आयोग द्वारा निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है।

विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क का विवरण:-

सं.क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	आयोग द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु अनुमोदित शुल्क (रु.में)
1	बैचलर ऑफ आर्ट्स (बी.ए./बी.ए. ऑनर्स)	22400
2	बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स (बी.एससी. ऑनर्स)	33400
3	बैचलर ऑफ कामर्स (बी.कॉम)	22400
4	बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (बी.सी.ए.)	35400
5	बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बी.बी.ए.)	33700
6	बी.लीब.आई.एससी.	22300
7	बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ (एल.एल.बी.)	45200
8	बी.ए.एल.एल.बी.	100600
9	बी.कॉम.एल.एल.बी.	100600

क्रमशः:02

५

10	बी.ए.जे.एम.सी.	20200
11	बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.)	66400
12	बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बी.टेक.)	90300
13	बैचलर आफ फार्मेसी (बी.फार्म)	101500
14	बैचलर ऑफ साइंस (फॉरेंसिक साइंस)	48100
15	मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.)	22500
16	मास्टर ऑफ सोशल वर्क (एम.एस.डब्ल्यू)	23600
17	मास्टर ऑफ साइंस (एम.एससी.)	26700
18	मास्टर ऑफ कामर्स (एम.काम)	26700
19	मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.)	101400
20	एम.लीब.आई.एससी.	27600
21	मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ (एल.एल.एम.)	56600
22	एम.ए.जे.एम.सी.	27100
23	मास्टर ऑफ एजुकेशन (एम.एड)	68000
24	मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.टेक.)	102400
25	मास्टर ऑफ फार्मेसी (एम.फार्म)	102200
26	एम.पी.एच.	170100
27	एम.एच.ए	102200
28	मास्टर ऑफ साइंस (फॉरेंसिक साइंस)	73100
29	भाषाओ/विदेशी भाषाओ में डिप्लोमा	32600
30	डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.)	22600
31	डिप्लोमा इन योगा साइंस	22600
32	डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स	22700
33	डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन साइंस	22300
34	डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक एनीमेशन	20100

क्रमश:03

9

35	डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (डी.एल.एड.)	33100
36	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग	44000
37	डिप्लोमा इन फार्मसी (डी.फार्म)	101000
38	पी.जी.डी.सी.ए.	27700
39	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा साइंस	23800
40	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म	31100
41	पीएच.डी.	148800
42	बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज (बी.आर.एस.)	40500
43	बैचलर ऑफ स्टेटिस्टिक्स (बी.स्टेट)	40500
44	बी.ए.बी.एड	56500
45	बी.एससी.बी.एड	56000
46	बी.पी.एड.	50500
47	बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (बी.आर्क.)	79000
48	बैचलर ऑफ डिज़ाइन (बी.डिस.)	120900
49	बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन (बी.आई.डी.)	120900
50	बैचलर ऑफ प्लानिंग (बी.प्लान)	121300
51	बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ट्रेवल एंड टूरिज्म	88700
52	इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ (बी.बी.ए. एल.एल.बी.)	102000
53	बैचलर ऑफ परफार्मिंग आर्ट्स	71800
54	बैचलर ऑफ टेक्नोलाजी (पार्ट टाइम) बी.टेक (पार्ट टाइम)	62700
55	बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (बी.एफ.ए.)	78600
56	शास्त्री/शास्त्री (ऑनर्स)	55400
57	मास्टर ऑफ रूरल स्टडीज (एम.आर.एस.)	22600
58	मास्टर ऑफ स्टेटिस्टिक्स (एम.स्टेट)	44500
59	एम.पी.एड	61700

60	मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर (एम.आर्क.)	90400
61	मास्टर ऑफ डिज़ाइन (एम.डेस.)	134800
62	मास्टर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन (एम.आई.डी.)	134500
63	मास्टर ऑफ प्लानिंग (एम.प्लान)	134500
64	मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ट्रेवल एंड टूरिज्म	100300
65	मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (पार्ट टाइम)एम.टेक (पार्ट टाइम)	78400
66	मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (पार्ट टाइम)	101400
67	मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स (एम.एफ.ए.)	100500
68	आचार्य	50100
69	डिप्लोमा इन सोशल वर्क	22300
70	डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन	22500
71	डिप्लोमा इन डिजीटल मार्केटिंग	44800
72	डिप्लोमा इन एनवायरनमेंटल साइंस	40700
73	डिप्लोमा इन एनवायरनमेंटल पाल्युशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी	25600
74	डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइन	44900
75	डिप्लोमा इन फैशन डिजाइन	44900
76	डिप्लोमा इन ई-कॉमर्स	45100
77	डिप्लोमा इन फोटोग्राफी	44700
78	डिप्लोमा इन ज्वेलरी डिज़ाइन	45400
79	डिप्लोमा इन साइबर क्राइम/साइबर लॉ/साइबर सिक्योरिटी/ह्यूमन राइट्स/ क्रिमिनोलॉजी	45000
80	डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट लॉ/बिजनेस लॉ/टैक्सेशन लॉ/लेबर लॉ	45000
81	डिप्लोमा इन एन.जी.ओ. मैनेजमेंट	20500
82	डिप्लोमा इन डांस/म्यूजिक	20400
83	डिप्लोमा इन न्यूज़ रीडिंग, मीडिया स्टडीज, एंकरिंग एंड रिपोर्टिंग	26100
84	डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन	44800



85	डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर (डी.आर्क.)	66600
86	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग (पार्ट टाइम)	44100
87	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वुमन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट	25200
88	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन	105600
89	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट	20400

1. अनुमोदित कुल शुल्क में से 10 % राशि विकास शुल्क होगी। इसका लेखा पृथक से रखना होगा। विकास शुल्क की राशि का उपयोग नियमानुसार विश्वविद्यालय के विकास में करना होगा।
2. प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिये निर्धारित शुल्क वार्षिक है तथा यह शुल्क सत्र 2025-26 में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित समयावधि पूरी होने तक लागू रहेगी।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में से यदि किसी पाठ्यक्रम के लिए शुल्क राशि का निर्धारण राज्य की शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किया गया है, तो उस पाठ्यक्रम हेतु वही शुल्क राशि मान्य होगी।
4. प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु शुल्क में सम्मिलित समस्त शुल्क यथा रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में शुल्क सहित समस्त शुल्क शामिल हैं, तथापि परीक्षा शुल्क, पूरक परीक्षा एवं पुनर्मूल्यांकन शुल्क, यातायात/बस चार्जस, छात्रावास/मेस चार्जस आदि वैयक्तिक व्यय पृथक से लिये जा सकेंगे परंतु उनका लेख भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
5. आगामी वित्तीय वर्ष की समीक्षा के साथ उक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों की तुलना, अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों से कर प्रस्तुत करना होगा। अंतर के कारणों को स्पष्ट करते हुए यदि लागतें बढ़ी तो उसकी पूर्ति कहाँ से की गई, स्पष्ट करनी होगी, यदि लागतें कम हुई तो अधिक वसूली गई फीस छात्रों को वापस करनी होगी।
6. समस्त निजी विश्वविद्यालयों को आगामी प्रत्येक वर्षों में शैक्षणिक शुल्क का निर्धारण आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु माह अप्रैल-मई में अनिवार्य रूप से कराया जाना होगा। जो विश्वविद्यालय माह अप्रैल-मई में शुल्क का निर्धारण नहीं करवायेंगे तो यह माना जायेगा कि वे पूर्व वर्ष में निर्धारित शुल्क में किसी तरह की वृद्धि नहीं करेंगे, किन्तु इस संदर्भ में आयोग को विश्वविद्यालय द्वारा जून माह के पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
7. जिन विषयों में शुल्क का निर्धारण आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं करवाया जायेगा, उन विषयों में विश्वविद्यालय को प्रवेश देने की पात्रता नहीं होगी।


 (के.के. चंद्राकर)
 सचिव

छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक
 आयोग(छ.ग.)

पृ.क्र: 10113/विविध/171/2019/
प्रतिलिपि:—

नवा रायपुर, दिनांक /01/2025

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ अग्रेषित है।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ अग्रेषित है।


सचिव

छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक
आयोग(छ.ग.)